राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....563/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्विच गियर्स, जयपुर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/4/2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 370/CST/स्थगन/APP-III/13–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.04.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बकाया वसूली पर रोक हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित ट्रांसफॉर्मर्स/केबल्स/कंडक्टर्स का विक्रय राजस्थान व राज्य के बाहर विद्युत कम्पनियों को F.O.R. Destination के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय का अनुबंध एवं फ्रेट व इंश्योरेंस का अनुबंध पृथक–पृथक किया जाना बताया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा फ्रेट चार्जेज को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए, वसूली गई फ्रेट राशि रूपये 99,43,607/– पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 3,97,744/–, तदनुसार ब्याज रूपये 3,06,263/– एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 7,95,488/– कुल रूपये 14,99,495/– का आरोपण, वेट अधिनियम की धारा 24(6) सपठित धारा 26, 55, 61 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.2.2014 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.4.2014 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 12,50,000/– का स्थगन स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण में अवशेष वसूली योग्य राशि रूपये 2,49,405/– की वसूली के स्थगन हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....563/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्विच गियर्स, जयपुर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/4/2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत एवं सप्लाई किये गये माल के पृथक–पृथक अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में फ्रेट चार्जेज विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकता। विद्वान अभिभाषक ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(एच) में विहित 'विक्रय मूल्य' की परिभाषा को उद्धरित करते हुए कथन किया कि फ्रेट चार्जेज विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के फ्रेट चार्जेज को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए तदनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **1998 यू.पी.टी.सी. 1096 (एस.सी.); 1998 यू.पी.टी.सी. 1097 (कर्नाटक); 1998 यू.पी.टी.सी. 1096 (एस.सी.); 2 एस.टी.ओ. 284 (राजस्थान); 114 एस.टी.सी. 565 (इलाहाबाद); 113 एस.टी.सी. 629 (मद्रास); 113 एस.टी.सी. 117 (इलाहाबाद); 73 एस.टी.सी. 317 (एस.सी.); 20 टैक्स वर्ल्ड 253 (आर.टी.टी.); 75 एस.टी.सी. 01 (एस.सी.); 11 टैक्स अपडेट 11 (रा.क.बो.) एवं (2003) 16 एस.टी.टी. 144 (रा.क.बो.)** उद्धरित करते हुए अवशेष राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय से पूर्व किये गये समस्त खर्चे विक्रय मूल्य का भाग हैं। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(एच) अनुसार भी विक्रय से पूर्व किये गये समस्त खर्चे विक्रय मूल्य का भाग हैं, जिन पर नियमानुसार करदेयता बनती है। अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से विक्रय अनुबंध एवं फ्रेट अनुबंध का निष्पादन पृथक–पृथक किया गया है, जिससे फ्रेट राशि पर करदेयता समाप्त नहीं हो जाती है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने F.O.R. Destination आधार पर माल की सप्लाई विद्युत कम्पनियों को निर्धारित स्थान पर दी लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....563/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्विच गियर्स, जयपुर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–प्रथम, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/4/2014	गई है, जिसकी अलग से प्रतिफल राशि प्राप्त की गई है, उक्त राशि विक्रय मूल्य का भाग होने से इस पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत करदेयता बनती है। अग्रिम कथन किया कि प्रकरण में कुल मांग राशि रूपये 14,99,495/– में से वसूली योग्य राशि रूपये 14,59,721/– में से अपीलीय अधिकारी ने रूपये 12,50,000/– की राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया जाकर अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। अतः अवशेष राशि पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने, पत्रावली में उपलब्ध अपील के आधारों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन करने पर यह पीठ, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 14,59,721/– में से रूपये 12,50,000/– की राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया जाकर अपीलार्थी को पर्याप्त राहत प्रदान की जा चुकी है तथा अवशेष वसूली योग्य राशि रूपये 2,49,405/– के सम्बन्ध में प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (सुनील शर्मा) सदस्य (जे. आर. लोहिया) 11/4/14 सदस्य	